विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के 1 -मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न स०- 03 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
03- (क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में ग्राम-गजराज खेड़ा से छत्रपाल खेड़ा तक लगभग 1.200 कि०मी० सड़क मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई थी?	जी हां। जनपद उन्नाव के विकास खण्ड, हिलौली में मण्डी परिषद द्वारा छत्रपाल खेड़ा के सामने सं०मा० **हिलौली-संदाना मार्ग से गजराज खेड़ा तक, लं0-1.40 कि०मी०** का निर्माण मण्डी परिषद द्वारा वर्ष 2004 में कराया गया था।
(ख) क्या उक्त सड़क अत्यधिक जर्जर हो गई है जिससे आवागमन में जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?	जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का गड्ढामुक्तिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2021 में अनुबन्ध संख्या-813 दिनांक 24.03.2021 के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा मरम्मत / नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। कार्य वास्तविक रूप से 20.06.2021 को पूर्ण हुआ। ग्राम गजराज खेड़ा में मार्ग के किनारे आबादी वाले भाग में स्थापित हैण्डपम्प के पानी की जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने के कारण पानी भरने से मार्ग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण अवधि में स्वयं के व्यय पर ठीक करा दिया गया। वर्तमान समय में मार्ग संतोषनजनक तथा जनमानस के यातायात हेतु सुलभ एवं सुगम है।
(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेपन कार्य कराया गया है?	जी नहीं।
(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त सड़क का डामरीकरण/लेपन कार्य करायेंगे?	सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22.11.2013 द्वारा निर्गत "**उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013**" एवं पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्थानुसार 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त नवीनीकरण / मरम्मत किये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत हुए अभी 04 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है। अनुरक्षण नीति के अनुसार पांच वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत मार्ग मरम्मत के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

(ड़)	यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश